म.प्र. शासन – वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक/DM/2023/2636 देवास, दिनांक 26.3.23

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत MBR, पम्प हाऊस एवं पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.950 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद्। (FP/MP/WATER/152376/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्र/एफ–5/1149/2022/10–11/864 भोपाल दिनांक 27.02.2023

–––00–––

निवेदन है की उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकति जारी करने हेतु 10 बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है।

महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्दौर म.प्र. द्वारा उनके पत्र क्र/1014/तक./2023/म.प्र.ज.नि./प.क्रि.ई./इन्दौर दिनांक 16.03.2023 से चाही गयी जानकारी प्रस्तुत की गयी है । उक्त जानकारी अनुशंसा सहीत पत्र के संलग्न अग्रिम कार्यावाही हेतु अवलोकनार्थ सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

क्रमांक/DM/2023/2637 देवास, दिनांक 26.3.23

प्रतिलिपि –

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

kachole..d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2023.docx188

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्र.1, मूसाखेड़ी, इंदौर (म.प्र.) 452001

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)

कं. रजिस्टर्ड कार्यालय – 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल–452011

Phone No. : 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website - www.mpjalnigam.mp.gov.in

Email : gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in (Ph. 0731-2712001) **CIN-U41000MP2012SG028798**

क्रमांक 1014 / तक. / 2023 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई / इंदौर दिनांक 16-3-2023

प्रति,

वन संरक्षक एवं
पदेन वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास
जिला देवास

विषयः देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत एम.बी.आर. पम्प हॉऊस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित को उपयोग पर देने बाबद्।

सदंर्भः 1. प्रपोजल क्र. FP/MP/WATER/152376/2022250/02/2022.
2. भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6 एम.पी.बी. 035 / 2022 बी.एच.ओ. दिनांक 24.02.2023

–00–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भों के क्रम में लेख है कि नेमावर समूह जल प्रदाय योजना जिला देवास का निर्माण म.प्र. जल निगम द्वारा शासन की महत्ती "जल जीवन मिशन" योजना अंतर्गत किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत प्रस्तावित एम.बी.आर. निर्माण, पम्प हॉऊस निर्माण तथा पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि को उपयोग में देने हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया अन्तर्गत संदर्भ (2) में दर्शाये पत्रानुसार चाही गई की बिन्दुवार जानकारी पत्र के साथ संलग्न है कृपया अवलोकन कर प्रति हस्ताक्षरित कर जानकारी आपके कार्यालय स्तर से वन मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि उक्त योजना शासन की महत्ती "जल जीवन मिशन" योजना अंतर्गत निर्माधाधीन होकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाना है अतः त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(जे.पी. गनोते)
महाप्रबंधक

पृ. क्रमांक 1015 / तक. / 2023 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई / इंदौर दिनांक 16-3-2023

प्रतिलिपि –

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

कार्यालय वन मण्डल (क्षे.) देवास (म.प्र.)
शाखा- मा.चि.
21 MAR 2023
आमद क्र.- 5699

\\Mpjnm\D\Execution Scheme\Nemawar-Dewas\Nemawar_Dewas(Hindi).doc

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6 एम.पी. बी. 035/2022 बी.एच.ओ. दिनांक 24.02.2023 द्वारा चाही गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र. 01 :– बिन्दु अनुसार नॉन फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट एरिया की के.एम.एल. फाईल अपलोड कर दी गई है।

बिन्दु क्र. 02 :– नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का स्त्रोत नर्मदा नदी होकर उक्त नदी नेमावर के समीप स्थित है। उक्त नदी के समीप ही योजना का इंटेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयत्र निर्मित है।

योजना अंतर्गत निर्मित जल शुद्धिकरण संयंत्र से जल पम्प कर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन (500 मि.मि. व्यास डी.आई.के–9) द्वारा जिसकी लम्बाई 70 कि.मी. है, तथा उक्त पाईप लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के ROW में नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर बिछाई जा रही है। उक्त पम्पिंग मेन के एकमात्र अलाइनमेंट पर ही एम.बी.आर तथा पम्प हॉउस का निर्माण टेक्नीकली उचित होने से किया जाना है तथा इस हेतु कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। पम्पिंग मेन एवं पम्प हाऊस तथा एम.बी.आर. का नक्शा संलग्न है।

बिन्दु क्र. 3 :– नेमावर समूह जल प्रदाय योजना जिसके द्वारा 125 ग्रमों में निवासरत रहवासियों जिनकी डिजाइन अनुसार वर्ष 2031 की जनसंख्या 2,95,367 आंकलित है, को शुद्ध जल प्रदाय किया जाना है। उक्त योजना का निर्माण भारत शासन की महत्वपूर्ण '' जल जीवन मिशन योजना'' अंतर्गत, निर्धारित मापदण्डो अनुसार किया जा रहा है। योजना का स्त्रोत नर्मदा नदी है, जो की ग्राम नेमावर के समीप स्थित है, वही योजना के इन्टेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्मित है।

उक्त जल शुद्धिकरण संयंत्र से पम्पींग मेंन के माध्यम से शुद्ध जल पम्प कर एम.बी. आर. को (ग्राम छायन के समीप) भरा जाना प्रस्तावित हैं। उक्त पम्पींग मेन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के ROW में बिछाये जाने की सक्षम स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त कर नियमानुसार बैंक ग्यारंटी राशि रू. 78,75,000/– तथा लायसेंस राशि 87,71,250/– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग में जमा करवा दी गई है।

तकनीकी आधार पर जल शुद्धिकरण संयंत्र से पम्प कर ग्राम छायन के समीप उपलब्ध सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में एम.बी.आर. का निर्माण कार्य करवाना तथा उक्त एम.बी.आर. के माध्यम से 125 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु निर्मित की जाने वाली 78 उच्च स्तरीय आर.सी.सी. टंकियों को ग्रेव्हीटीमेन पाईप लाईन से भरा जाकर किया जाना आवश्यक होने से उक्त भूमि का चयन तकनिकी आधार पर किया गया है तथा इस हेतु अन्य कोई विकल्प नही होने से उक्त भूमि का चयन जो टेक्नोइकॉनामिकली सबसे उचित होने से किया गया है

बिन्दु क्र. 4 :– योजना अंतर्गत प्रस्तावित 70 किमी. लम्बाई में बिछायी जाने वाली पम्पींग पाईप लाईन (500 एम.एम. व्यास की डी.आई के–9) भारतीय राजमार्ग के ROW में बिछायी जाना है उक्त फर्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से प्राप्त स्वीकृति का पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 5 :– नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

बिन्दु क्र. 6 :– सी.ए. स्कीम वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार ''दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु राशि रू. 20 लाख की तैयार की गई है। योजना की तकनिकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु क्र. 7 :– सी.ए. स्कीम ''दुगने बिगडे वन क्षेत्र में'' प्रस्तावित होने से आवश्यक नहीं।

बिन्दु क्र. 8 :– पार्ट – iii अपलोड की कार्यवाही का संबंध वन मुख्यालय से है।

बिन्दु क्र. 9 :– सी.ए. स्कीम ''दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में'' 4630 वृक्षों की तेयार की गई है, योजना संलग्न है।

बिन्दु क्र. 10 :– योजना अंतर्गत MBR निर्माण कार्य क्षेत्र में उपलब्ध ऊँचाई वाले स्थान पर किया जाना तकनिकी आधार पर आवश्यक है। उक्त MBR को 70 किमी लम्बाई की पम्पींग मेन पाईप लाईन के माध्यम से भरने हेतु इन्टरमीडीएट पम्पीग स्टेशन का निर्माण कार्य पम्पपिंग मेन की हाइड्रोलिक डिजाइन अनुसार किया जाना आवश्यक होने से एवं पम्पिंग मेन पाईप लाईन जो की राष्ट्रीय राजमार्ग – 47 के समानान्तर बिछाई जा रही है, उक्त पाईप लाईन के अलाईन्मेंट पर ही तकनिकी रूप से स्वीकृत हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर चयन किया गया है। उक्त पम्पपिंग मेन लाइन के अलाइमेंट पर पूर्व से दो इंटरमिडिएट पम्पींग स्टेशन निर्मित होकर उनका उपयोग भी किया जाना है अतः उक्त स्थान का चयन टेक्नोइकॉनॉमिकली उचित होने से किया गया है।

(हेमंत वाडगे)
उपप्रबंधक

(जे.पी. गनोते)
महाप्रबंधक

वन संरक्षक,
एवं पदेन वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल (क्षे) देवास (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु क्र. 7

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत बिगड़ें वनो का सुधार हेतु वृक्षारोपण नागदा हेतु संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रंमाक 02 जिसका कुल रकबा 465.420 हे. में से रकबा 05.000 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र होकर घनत्व 0.1 से 0.2 तक है, वन क्षेत्र BL1, BL2 प्रकार का है। एवं मृदा का परिक्षण कराया गया है जो रोपण हेतु उपयुक्त है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र क्षे. देवास	उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल देवास (सा.)	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल क्षे. देवास

Scanned with OKEN Scanner

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

(5)

क्रमांक / DM / 2022 / 9673 देवास, दिनांक 21-11-22

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय :– देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत MBR पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक /एफ–5/1149/2022/10–11/3235 भोपाल दिनांक 20.09.2022

——00——

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत MBR पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वन भूमि 0.95 हेक्टेयर में 436 प्रभावित वृक्षों के एवज में 10 गुना 4360 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं MBR तक आने जाने का मार्ग की जानकारी पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.कमांक / DM / 2022 / 9674 देवास, दिनांक 21-11-22
प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर देवास जिला देवास की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्रमांक–1 मूसाखेड़ी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप वनमण्डल अधिकारी बागली/देवास की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

9

वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट नागदा – वन परिक्षेत्र देवास (क्षेत्रीय)

वन परिक्षेत्र (क्षे.), देवास

वन मण्डल (क्षे.), देवास

M.P. FOREST DEPARTMENT
150 years

वन वृत्त उज्जैन

वर्ष 2022–23 से

2032–33

कक्ष कमांक 02 रकबा 05 हेक्टर

ग्राम वन समिति भानगढ़

वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट नागदा – वन परिक्षेत्र देवास (क्षेत्रीय)

प्रथम वर्ष 2022-23

बीट	नागदा	समिति भानगढ़	रकबा :-	5.000
मा.दि. :-	359		कक्ष कमांक :-	2

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू. में
1	सर्वे सीमाकंन	5.000	हे.	0.45	161.55	प्रति हेक्टर	807.75
2	क्षेत्र सफाई कार्य एवं अनुपयोगी झाड़ी हटाना	3.000	हे.	4.00	1436.00	प्रति हेक्टर	4308.00
3	लेंटाना उन्मूलन कार्य	1	हेक्टर	12.5	4488	प्रति हेक्टर	4487.50
फेसिंग 735 र.मी.							
4	आरसीसी पोल कय	324	नग	-	259.00	प्रति नग	83916.00
5	बारवेड वायर - 735 र.मी. X 3 लाईन में	370	कि.ग्रा.	-	90	प्रति कि.ग्रा.	33300.00
6	चैनलिंक फेसिंग कय 1.2 मी.	882	व.मी.	-	258	प्रति व.मी.	227556.00
7	पोल फिक्सिंग हेतु गड्डे अलाईमेंट कार्य	324	नग	2.5	0.90	प्रति नग	290.79
8	पोल फिक्सिंग हेतु गड्डे खुदाई कार्य 30X30X45 में	324	नग	3.8	13.64	प्रति नग	4420.01
9	सिरबोझ परिवहन आर.सी.सी. पोल	LS		LS			5000.00
10	~~[illegible]~~ पोल फिक्सिंग 1: 3 : 6 में सीमेंट 144 बैग, रेत 17.75 घ.मी. गिट्टी 35.50 घ.मी.	11.66	घ.मी.	-	4400	प्रति घ.मी.	51321.60
11	बाईडिग वायर	70	कि.ग्रा.	-	90	प्रति कि.ग्रा.	6300.00
12	बारवेड वायर एवं चैनलिंक फिक्सिंग कार्य	735	र.मी.	0.16	57.44	प्रति र.मी.	42218.40
13	पौधा रोपण हेतु गड्डे अलाइमेंट कार्य 3x3 अंतराल में	4360	नग	2.5	0.90	प्रति नग	3913.10
14	पौधा रोपण हेतु गड्डे खुदाई कार्य 45X45X45 से.मी.	4360	नग	5	17.95	प्रति नग	78262.00
15	नीम खली कय	2	क्विंटल	-	3000	प्र.क्विं.	6000.00
16	गोबर खाद	30	घ.मी.	-	900	प्रति घ.मी.	27000.00
17	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय	2	क्विंटल	-	1800	प्रति क्विंटल	3600.00
18	गढ़ढों में हॉफफिलिंग कार्य (खाद, किटनाशक, मिट्टी में मिलाकर)	4360	नग	1.5	5.39	प्रति नग	23478.60
19	वृक्षारोपण क्षेत्र का साईन बोर्ड 2.5X4.0 (लोहे का बोर्ड बनाकर आईल पेंट से करवाना, बनवाई एवं स्थल तक पहुंचाना सम्मिलित है।)	90	किलो	-	90.00	प्र.किलो	8100.00
20	वृक्षारोपण क्षेत्र का गेट बनवाई 8X4 (लोहे का बनाकर आईल पेंट से करवाना एवं स्थल तक पहुंचाना सम्मिलित है।)	270	किलो	-	90.00	प्र.किलो	24300.00
21	अन्य आकस्मिक व्यय	L.S.		L.S.		L.S.	11420.25
	प्रति हे. कुल व्यय	130000		योग प्रथम वर्ष :-			650000.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षे. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

द्वितीय वर्ष (2023–24) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

अ.क.	कार्य का विवरण	मात्रा		मा.दि.	दर		राशि
1	सामाजिक वानिकी अनुसंधान नर्सरी द्वारा पौधा कय	4796	पौधा	0	30.00	प्रति पौधा	143880.00
2	पौधे परिवहन	4796	पौधे	-	5	प्रति पौधे	23980.00
3	पौधे सिरबोझ द्वारा परिवहन	4360	पौधे	0.4	1.44	प्रति पौधे	6260.96
4	पौधा रोपण	4360	पौधे	1.8	6.46	प्रति पौधे	28174.32
5	प्रथम निंदाई	4360	पौधे	1.25	4.49	प्रति पौधे	19565.50
6	द्वितीय निंदाई	4360	पौधे	1	3.59	प्रति पौधे	15652.40
7	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठहराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
8	अन्य व्यय	L.S.		-	L.S.		6058.82
					योग	:-	**328572.00**
					दर वृद्धि 05%	:-	**16428.00**
					द्वितीय वर्ष का कुल योग	:-	**345000.00**
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	:-	**69000.00**

तृतीय वर्ष (2024–25) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. पी–873 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू. में
1	सामाजिक वानिकी अनुसंधान नर्सरी द्वारा पौधा कय	550	पौधा	0	30.00	प्रति पौधा	16500.00
2	मृत पौधे हेतु पौध परिवहन कार्य	550	पौधा	0	5.00	प्रति पौधा	2750.00
3	मृत पोधों के स्थान नए पोधे लगाना गड्डे खोदना	500	पौधा	0.015	5.39	प्रति पौधा	2692.50
4	प्रथम निंदाई	4360	पौधा	0.0125	4.49	प्रति पौधा	19565.50
5	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठहराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
6	अन्य व्यय	L.S.		L.S.		L.S.	2583.00
					योग	:-	**129091.00**
					दर वृद्धि 10%	:-	**12909.00**
					तृतीय वर्ष का कुल योग	:-	**142000.00**
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	:-	**28400.00**

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास

चतुर्थ वर्ष (2025–26) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू. में
1	सामाजिक वानिकी अनुसंधान नर्सरी द्वारा पौधा कय	550	पौधा	0	15.00	प्रति पौधा	8250.00
2	मृत पौधे हेतु पौध परिवहन कार्य	550	पौधा	0	5.00	प्रति पौधा	2750.00
3	मृत पोधों के स्थान नए पोधे लगाना गड्डे खोदना	500	पौधा	0.015	5.39	प्रति पौधा	2692.50
4	प्रथम निंदाई	4360	पौधा	0.0125	4.49	प्रति पौधा	19565.50
5	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
6	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		3829.00
						योग :-	**122087.00**
						दर वृद्धि 15% :-	**18313.00**
						चतुर्थ वर्ष का कुल योग :-	**140400.00**
						प्रति हेक्टर कुल व्यय :-	**28080.00**

पंचम वर्ष (2026–27) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू. में
1	फैसिंग दुरस्थी कार्य	L.S.		-	L.S.		15000.00
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
3	अन्य व्यय	L.S.		L.S.		L.S.	2500.00
						योग :-	**102500.00**
						दर वृद्धि 20% :-	**20500.00**
						पंचम वर्ष का कुल योग :-	**123000.00**
						प्रति हेक्टर कुल व्यय :-	**24600.00**

षष्टम वर्ष (2027–28) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में.
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		2300.00
						योग :-	**87300.00**
						दर वृद्धि 25% :-	**21825.00**
						षष्टम वर्ष का कुल योग :-	**109125.00**
						प्रति हेक्टर कुल व्यय :-	**21825.00**

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास

सप्तम वर्ष (2028–29) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					85000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		2308.00
					योग	**:-**	**87308.00**
					दर वृद्धि 30%	**:-**	**26192.00**
					सप्तम वर्ष का कुल योग	**:-**	**113500.00**
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	**:-**	**22700.00**

अष्टम वर्ष (2029–30) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					65000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		1371.00
					योग	**:-**	**66371.00**
					दर वृद्धि 35%	**:-**	**23229.00**
					अष्टम वर्ष का कुल योग	**:-**	**89600.00**
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	**:-**	**17920.00**

नवम वर्ष (2030–31) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठ्हराव प्रस्ताव अनुसार					65000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		700.00
					योग	**:-**	**65700.00**
					दर वृद्धि 40%	**:-**	**26280.00**
					नवम वर्ष का कुल योग	**:-**	**91980.00**
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	**:-**	**18396.00**

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास

दशम वर्ष (2031–32) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठहराव प्रस्ताव अनुसार					65000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		862.00
					योग	:-	65862.00
					दर वृद्धि 45%	:-	29638.00
					दशम वर्ष का कुल योग	:-	95500.00
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	:-	19100.00

एकादश वर्ष (2032–33) रखरखाव कार्य

मा.दि. :– 359 कक्ष कं. 02 रकबा हेक्टर 5.000

क्रं.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू.में
1	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक द्वारा	समिति के माध्यम से ठहराव प्रस्ताव अनुसार					65000.00
2	अन्य व्यय	L.S.		L.S.	L.S.		1597.00
					योग	:-	66597.00
					दर वृद्धि 50%	:-	33298.00
					एकादश वर्ष का कुल योग	:-	99895.00
					प्रति हेक्टर कुल व्यय	:-	19979.00

व्यय का वार्षिक गोशवारा

क्रं.	वर्ष	व्यय प्रति हेक्टर	राशि रू. में
1	प्रथम वर्ष (2022–23) क्षेत्र तैयारी कार्य	130000	650000.00
2	द्वितीय वर्ष (2023–24) रखरखाव कार्य	69000	345000.00
3	तृतीय वर्ष (2024–25) रखरखाव कार्य	28400	142000.00
4	चतुर्थ वर्ष (2025–26) रखरखाव कार्य	28080	140400.00
5	पंचम वर्ष (2026–27) रखरखाव कार्य	24600	123000.00
6	षष्टम वर्ष (2027–28) रखरखाव कार्य	21825	109125.00
7	सप्तम वर्ष (2028–29) रखरखाव कार्य	22700	113500.00
8	अष्टम वर्ष (2029–30) रखरखाव कार्य	17920	89600.00
9	नवम वर्ष (2030–31) रखरखाव कार्य	18396	91980.00
10	दशम वर्ष (2031–32) रखरखाव कार्य	19100	95500.00
11	एकादश वर्ष (2032–33) रखरखाव कार्य	19979	99895.00
	कुल योग :–	400000	2000000.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन संरक्षक
एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षै. देवास

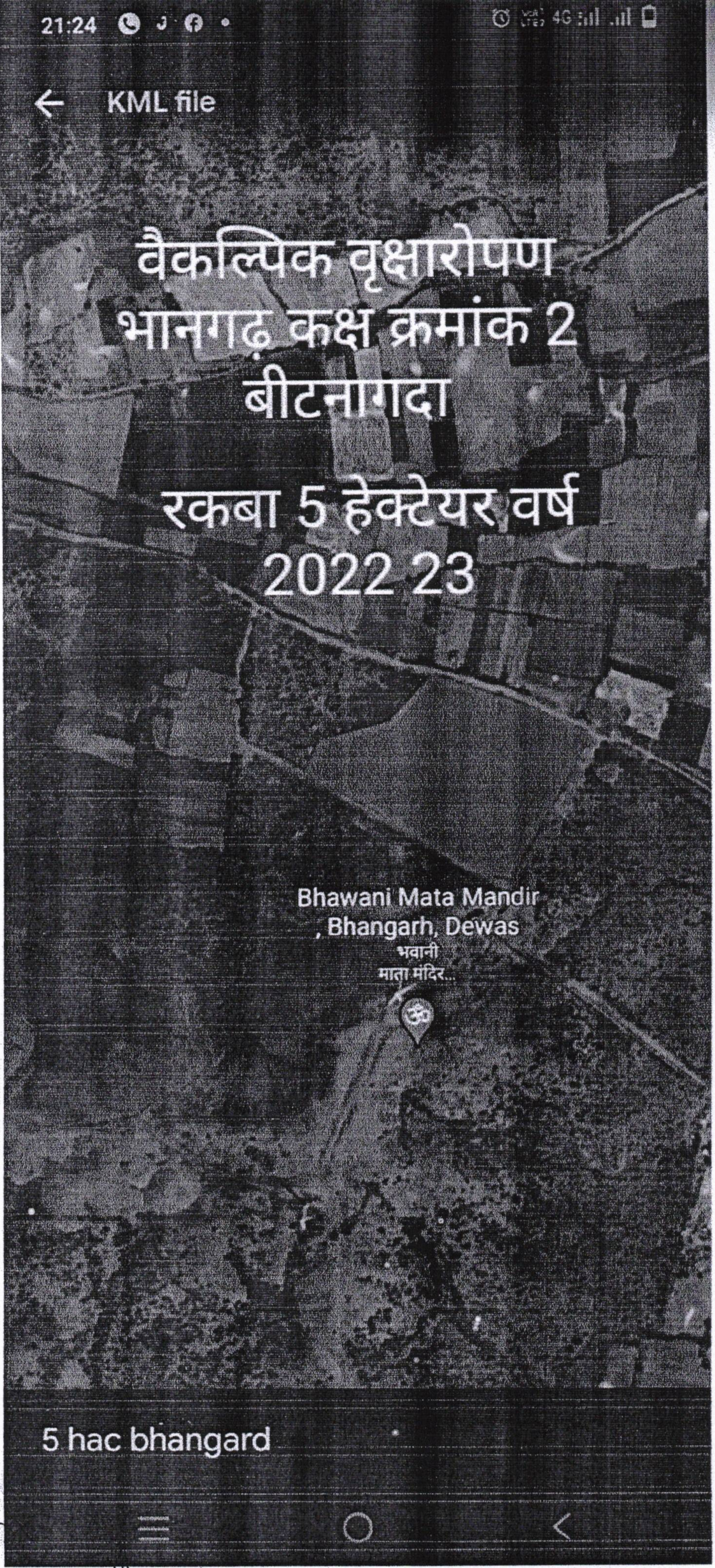

परिक्षेत्र सहायक
देवास ए.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

उपचार मानचित्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण ....मद योजना अंतर्गत भानगढ़ .... " वर्ष 2022 - 23 वन परिक्षेत्र देवास

परिक्षेत्र सर्कल " [illegible] A ...." बीट " नागदा ...." कक्ष क्रंमाक 02 ....

रकबा 5.006 हे.....हेक्टर ग्राम वन समिति का नाम भानगढ़ ....

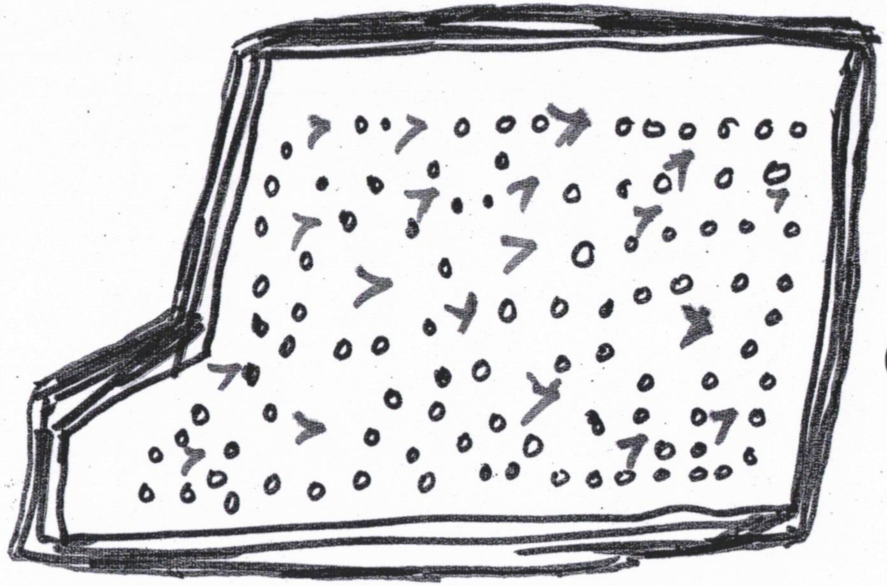

संकेत :–

(1) चैनलिंक फेंसिंग ═══
(2) सर्वे सीमांकन कार्य ———
(3) क्षेत्र सफाई कार्य > > >
(4) गड्ढा खुदाई कार्य 0 0 0 0 0

बीट गार्ड
नागदा

परिक्षेत्र सहायक

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र देवास

MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
DEWAS FOREST DIVISION

वैकल्पिक वृक्षारोपण भानगढ़ रकबा 5.00

स्टाक मेप

DEWAS RANGE

COMPTT.NO.2

SCALE:- 1:15,000

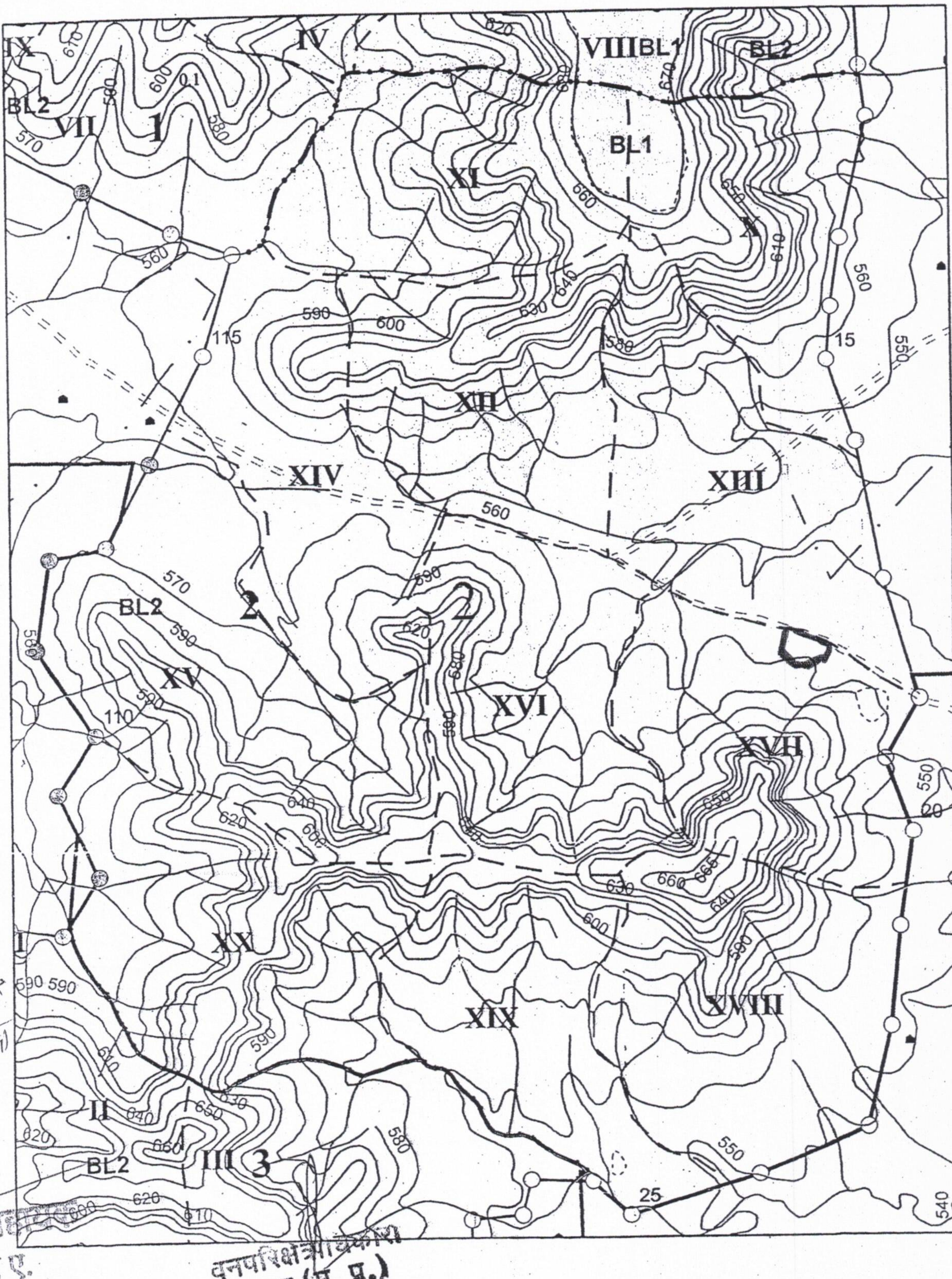

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

Date: / / Page no:

बैठक Date: / / Page no:

ग्राम वन समिति भानगढ़

आज दिनांक 10/11/22 को ग्राम वन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री [illegible] जी पटेल ग्राम पंचायत भानगढ़ ने की। बैठक में समिति सदस्य कार्यकारिणी सदस्य सचिव एवं [illegible] की उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा [illegible] उपरान्त प्रस्ताव पर [illegible] पारित किया गया।

प्रस्ताव — हस्ताक्षर

(1) ग्राम वन समिति के [illegible] प्रस्ताव क्र. 01 :- सर्व भानगढ़ [illegible] के अंतर्गत [illegible] कार्य [illegible] सहमति से पारित। प्रस्तावित हैं [illegible] क्षेत्र सफाई, एवं [illegible] गड्ढा खुदाई कार्य एवं वानिकी कार्य [illegible] प्रस्तावित।

(2) ग्राम वन समिति भानगढ़ [illegible] प्रस्ताव क्र.-02 सर्व 02 [illegible] के अंतर्गत [illegible] अनुसार कार्य [illegible] सहमति से पारित [illegible] क्षेत्र सफाई, [illegible] गड्ढा खुदाई कार्य एवं अन्य वानिकी कार्य [illegible] प्रस्तावित हैं

(3) ग्राम पंचायत भानगढ़ के अंतर्गत पंचायत के :- प्रस्ताव क्र.-03 - सर्व म.न.रेगा - एवं अन्य शासकीय योजना के कार्य सहमति से पारित प्रचलित हैं। जिससे ग्राम पंचायत में मजदूर उपलब्ध नहीं होने से पंचायत के सरपंच श्री [illegible] पटेल द्वारा बताया कि आप अपनी व्यवस्था से आपके पास उपलब्ध संसाधनों से आपका विभागीय कार्य सम्पादित कराने [illegible] प्रस्ताव रखा गया।

पास गांव में प्रकरणों की जानकारी			
टोंकखुर्द	हाटपिपल्या	हाटपिपल्या	सोनकच्छ

दिलीप पटेल — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — रामप्रसाद

[illegible] — [illegible]

[illegible]

सुरेन्द्र चौधरी

[illegible] — [illegible]

परिक्षेत्र सहायक
देवास ए.

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत, देवास

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत, देवास

ग्राम वन समिति, [illegible]
[illegible]

(6)

श्री पी.एन. मिश्रा(भावसे) वन मण्डल अधिकारी, वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास द्वारा प्रसारित आदेश :-

Phone/Fax No. (07272) 253020, E-Mail – dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक/माचि/2022/9652 देवास, दिनांक 20.11.2022

-:: आदेश ::-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /एफ-5/1149/2022/10-11/3235 दिनांक 20.09.2022 के पालन में वन परिक्षेत्र अधिकारी **देवास** द्वारा उनके पत्र क्रमांक/3529 दिनांक 18.11.2022 से उपवमण्डल अधिकारी देवास के पत्र क्र. 2784 दिनांक 18.11.2022 के माध्यम से नेमावर समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत MBR एवं पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टर वनभूमि, (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FF/MP/WATER/152376/2022) में प्रभावित 436 वृक्षों के एवज में 10 गुना 4360 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रेषित की गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति म.प्र. शासन वित्तीय विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से म.प्र. बुक ऑफ फॉयनेनशियल पॉवर 1995 भाग-2 में टेक्निकल सेंक्शन फार फॉरेस्ट्री वर्क में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्न प्राक्कलनों अनुसार कुल राशि रू. 2000000/- (रूपये बीस लाख मात्र) की तकनिकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क्र.	योजना अवधि	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	कार्य स्थल	कार्य मात्रा	तकनिकी स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-23 सं 2032-33	वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट नागदा	देवास	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कैम्पा)	बीट नागदा कक्ष क्र. 02, रकबा - 5.0 हे.	4360 वृक्ष	2000000
					योग :-		**2000000**

शर्ते :-

1. कार्य स्वीकृत जाबदर निर्धारित नार्मस्, अनुपात एंव बजट प्रावधानों के अंतर्गत कराया जावें।
2. भंडार क्रय नियम 114 से 124 तक का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. कराये गये कार्यो की प्रविष्टियों का निर्धारित पंजीयों में उल्लेख कर संधारित करें।
4. कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो एवं क्रियान्वयन के समय वरिष्ठ द्वारा दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना की जावे।
5. दैनिक मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुसार किया जावे।
6. प्राक्कलन के अनुसार कराये गये कार्यो का शतप्रतिशत निरीक्षण उप वन मण्डल अधिकारी से कराये जाने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जावे।
7. रू. 25000/- से अधिक की सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जावे।
8. कार्य तैयार किये गये स्थल योजना मानचित्र के अनुसार ही कराया जावे।
9. नियमानुसार प्लांटेशन जनरल संधारित किये जावे।
10. समस्त कार्यों की प्रविष्ठी ई-ग्रीन वाच पर अनिवार्य रूप से की जावे।
11. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यों हेतु निर्धारित बेसलाईन डाटा संकलित किया जावे।

(पी.एन. मिश्रा) भा.व.से.
वन मण्डल अधिकारी
(क्षेत्रीय) वन मण्डल देवास

पृ.क्रमांक/माचि/2022/9653 देवास, दिनांक 20.11.2022

प्रतिलिपी :-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर निधि 20 की ओर आवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन।
3. उप वनमण्डल अधिकारी देवास/वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
(क्षेत्रीय) वन मण्डल देवास

O/C
21.11.22

CLEAR WATER RISING MAIN NEMAWAR

GENERAL ARRANGMENT DRAWING

PUMPING DETAILS

TYPE V.T./EX.	Nos.	DISCHARGE @21Hr. Working	HEAD
INTAKE WELL	3(2W+1S)	8050 LPM	28 M
W.T.P	3(2W+1S)	8050 LPM	150 M
P.S. -1 (AT NANASA)	3(2W+1S)	8050 LPM	80M
P.S. - 2 (AT KILODA)	3(2W+1S)	8050 LPM	194 M
P.S. - 3 (AT KALAPATHA)	3(2W+1S)	8050 LPM	181M

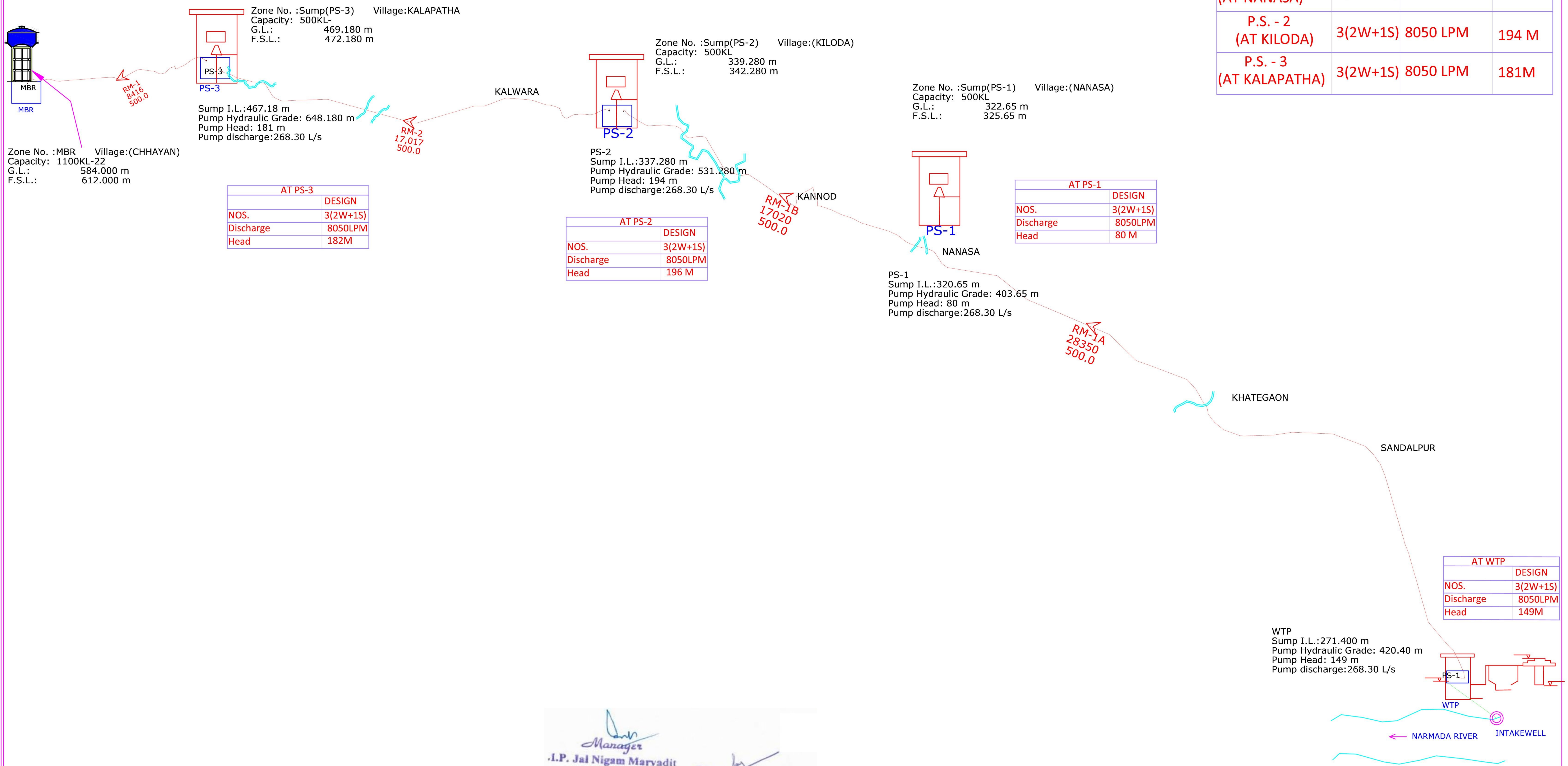

AT PS-3	
	DESIGN
NOS.	3(2W+1S)
Discharge	8050LPM
Head	182M

AT PS-2	
	DESIGN
NOS.	3(2W+1S)
Discharge	8050LPM
Head	196 M

AT PS-1	
	DESIGN
NOS.	3(2W+1S)
Discharge	8050LPM
Head	80 M

AT WTP	
	DESIGN
NOS.	3(2W+1S)
Discharge	8050LPM
Head	149M

Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
PIU, INDORE

General Manager
MPJNM, PIU, INDORE

TOTAL WATER DEMAND OF 127 VILLAGE AND 2 TOWNS		
C.W.W.D.	INITIAL	17.70 MLD
	INTERMEDIATE	20.25 MLD
	ULTIMATE	23.05 MLD
R.W.D.	INITIAL	18.80 MLD
	INTERMEDIATE	21.55 MLD
	ULTIMATE	24.50 MLD

LEGENDS:-

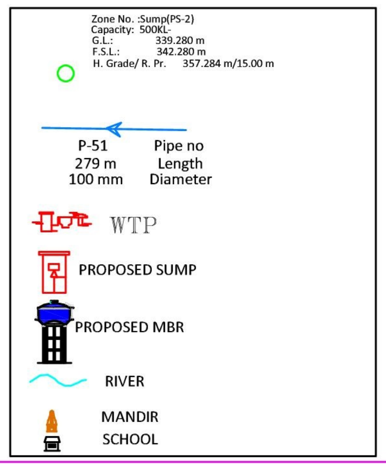

PROJECT :- NEMAWAR MULTI VILLAGE RURAL WATER SUPPLY SCHEME FOR VARIOUS VILLAGES OF DEWAS DISTRICT OF MADHYA PRADESH

AUTHORITY:- MADHYA PRADESH JAL NIGAM
2ND FLOOR, D-WING, VINDHYACHAL BHAWAN
BHOPAL - 462004

TURNKEY CONTRACTOR :-
DARA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
42 A, AJEET COLONY, OPP. BAL NIKETAN SCHOOL
JODHPUR RAJASTHAN

CONSULTANTS :-
ATLC INFRA CONSULTANTS PVT. LTD,
(FORMERLY KNOWN AS AMBERAMA TESTING LABORATORY & CONSULTANCY)
314, CLERK COLONY, INDORE,
PH. NO.0731-2553012, +91-9522577885
website: www.atlc.in
EMAIL ID: atlcinfraconsultants@gmail.com

TITLE:	GAD DRAWING OF CLEAR WATER RISING MAIN NETWORK				
DRG. NO.:	ATLC-NEMA-CWGM-GAD		DRAWN BY:-	PN	SIZE :-A2
DATE :	13.11.2022	REV.: R1	CHECKED BY:-	GG	

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Hignways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE
ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन के पास, भोपाल-462 016 (म.प्र.)
E-2/167, Arear Colony, Near Rani Kamlapati Railway Station, Bhopal-462 016 (M.P.)
दूरभाष/Phone : 0755-2426638, फैक्स/Fax : 0755-2426698, ई-मेल/E-mail : robhopal@nhai.org

सत्यमेव जयते

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

NHAI/RO-MP/Harda/Water Pipe line/NH-47/Pkg-III/2022/48217 Date: 19.12.2022

To,

The Project Director,
National Highways Authority of India,
Project Implementation Unit,
Harda (M.P.)

Sub: Regarding accord of Permission for laying Drinking-Water Pipe-Line along NH-47 (Earlier NH-59A) Under "Jal-Jiwan-Mission" at Dewas District (M.P.)

Ref:
1. PD, PIU-Harda email dated 17.12.2022
2. Invitation of Public Comments vide letter no. 47906 dated 04.11.2022
3. PD, PIU-Harda letter no. NHAI/PIU-Harda/NH-47/P-3/Water Pipeline/2022/1778 dt. 03.11.2022
4. LNM/Harda/NHAI/N-P/P-3/2022-23/499, Dated 01.11.2022
5. MPPWD letter no. NH-47(59A)/Water Supply Scheme/2022/744 dated 21.10.2022
6. DARA Engineering & Infrastructure letter no. DEIPL/Jod/22-23/2893-96 dated 22.09.2022.
7. RO-Bhopal letter no. 45353 dated 30.12.2021.

Sir,

Please refer above mentioned letters with regards to the proposal for "Permission for laying Drinking-Water Pipe-Line along NH-47 (Earlier NH-59A) Under "Jal-Jiwan-Mission" at Dewas District (M.P.)" as under:-

S. No.	Chainage		Proposed 4-lane
	From	To	
1	95+000	96+800	Existing Road widening stretch, LHS
2	96+800	99+500	Bypass stretch, LHS
3	99+500	108+150	Existing Road widening stretch, LHS
4	108+150	115+000	Bypass stretch, LHS
5	115+000	116+400	Existing Road widening stretch, LHS
6	116+400	117+300	Bypass stretch, LHS
7	117+300	123+750	Existing Road widening stretch, LHS
8	123+750	126+500	Bypass stretch, LHS

2. In this regard, public comments were invited through NHAI website vide this office letter dated 03.11.2022 till the prescribed time i.e. upto 04.12.2022 no comments/objections have been received by this office for the subject captioned proposal upto stipulated time.

3. In view of the above, the permission for Permission for laying Drinking-Water Pipe-Line along NH-47 (Earlier NH-59A) Under "Jal-Jiwan-Mission" at Dewas District (M.P.) is hereby accorded for 31.5km length as per table above by Competent Authority subjected to the following:

(a) Therefore, for laying of water pipeline in these stretches, the earthwork has to be confined to a certain width, for which the Toe wall/Retaining wall becomes indispensable. The extra

प्रधान कार्यालय : जी 5 एवं 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075 दूरभाष : 91-11-2507 4100/2507 4200 वेबसाइट : http:\\www.nhai.org
Corporate Office : G-5 & 6, Sector-10, New Delhi-110 075 Phone : 91-11-2507 4100/2507 4200 Website : http:\\www.nhai.org

Highway land as per Ministry's circular no. RW/NH-33044/29/2015/S&R (R) dated 22.11.2016 which is to be signed between the party/licensee and NHAI/Government of India. In view of the above, it is requested to please sign the license deed on behalf of Highway Administration and take further necessary action for the permission being accorded herewith. It is re-iterated that the requisite amount of construction of Toe/Retaining wall, License fee and Performance Bank Guarantee as indicated above please be ensured for submission (if not already submitted) before signing of the license deed and before according working permission at field.

This issues with the approval of Regional Officer cum Highway Administration.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Abdulla Javed Azmi)
Dy. General Manager (T)

Copy to: The GM, MP Jal Nigam Maryadit, PIU-Narmada Project Parisar, Bhawan, no. 1, Moosakhedi, Indore (MP) for information please.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
प.क्रि.इ. – मकान नं. 54–55 (प्रथम तल), अमरलोक कालोनी, हरदा (म.प्र.)–461331
P.I.U. Office – H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331
e-mail : piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com

भा रा रा प्रा
NHAI

(4)

NHAI/PIU/Harda/N-P/Water pipeline/ P-3/2022/1937 Dated: 22.12.2022

महा प्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्या.परि. क्रिया.
आ. क्र. 261
दिनांक 19/01/2023
DYM (W)

To,
The GM, MP Jal Nigam Maryadit,
PIU Narmada Project Parisar,
Bhawan, no. 1
Moosakhedi, Dist-Indore
(M.P.) 452001

Sub: Four laning of Nanasa to Pidgaon section of NH-47 (Old NH-59A) (Indore-Harda, Package-III) (Length -47.445 km) Design Ch. 95+000 Km to 142+445 Km under Bharatmala Pariyojna Phase–I (Economic Corridor) in the State of Madhya Pradesh on Hybrid Annuity Mode. **– Regarding accord of Permission for laying Drinking-water pipe-Line along NH-47 (Earlier NH-59A) Under "Jal-Jiwan-Mission" at Dewas District (M.P.)**

Ref.: RO letter no. 48217, Dated 19.12.2022

Sir,

With respect to the captioned subject matter, please refer to the letter cited under reference-1 vide which the Competent Authority NHAI has accorded the permission for laying Drinking water pipeline along NH-47 (Earlier NH-59A) in 31.5 Km length under "Jal-Jiwan-Mission" at Dewas District (M.P.). The details of which are tabulated as under: -

S.no.	Chainage		Proposed 4-lane
	From	To	
1	95+000	96+800	Existing Road widening stretch, LHS
2	96+800	99+500	Bypass stretch, LHS
3	99+500	108+150	Existing Road widening stretch, LHS
4	108+150	115+000	Bypass stretch, LHS
5	115+000	116+400	Existing Road widening stretch, LHS
6	116+400	117+300	Bypass stretch, LHS
7	117+300	123+750	Existing Road widening stretch, LHS
8	123+750	126+500	Bypass stretch, LHS

In this regard, it is pertinent to mention here that the Competent Authority has accorded the permission subject to the fulfillment of conditions mentioned in the referred letter (Please refer Para-3 of the letter enclosed). Accordingly, following requisite amount has to be deposited before the execution of work at site: -

1) For laying of water pipeline in these stretches, the earthwork has to be confined to a certain width, for which the Toe wall/Retaining wall becomes indispensable. The extra expenditure incurred for the construction of Toe/Retaining wall is Rs. 463 Lac which is to be borne by utility owing department.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
प.क्रि.इ. – मकान नं. 54–55 (प्रथम तल), अमरलोक कालोनी, हरदा (म.प्र.)–461331
P.I.U. Office – H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331
e-mail : piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com

2) The license fee amounting to Rs, 87,71,250/- to be deposited by the applicant for use of NH land as per MoRT&H Circular dated 22.11.2016. As the policy for charges for utilization of NH land is under consideration for revision by NHAI. Thus, if the license fee/Charges applicable for such permissions is increased by NHAI in future, the same shall be payable by the applicant and no objections of the applicant in this regard will be considered.
3) Further, BG amounting Rs. 78.75 Lac is also to be submitted by applicant as per the circular for against restoration, maintenance work after laying of water Pipeline/utility. In case of receipt of directions of NHAI-HQ regarding increase in the amount of BG, the same shall be submitted by the applicant and no objections in this regard shall be considered from applicant. Further the BG may be suitably extended as per requirement at site by PD, PIU-Harda.

In view of the above, it is requested to ensure the submission of the requisite amount for construction of Toe/Retaining wall, license fee and performance Bank Guarantee for signing of license deed and working permission at field. Further, it is also requested to submit the undertakings for various provisions mentioned in Para-3 of the referred letter (Dated- 19.12.2022) to this office at the earliest.

Thanking you.

Enclosed:-

GM (T.)/Project Director
NHAI, PIU-Harda

Copy to : The CGM, RO, Bhopal for your kind information please.

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्र.1, मूसाखेड़ी, इंदौर (म.प्र.) 452001

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)

कं. रजिस्टर्ड कार्यालय – 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल–452011

Phone No. : 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website - www.mpjalnigam.mp.gov.in

Email : gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in (Ph. 0731-2712001) **CIN-U41000MP2012SG028798**

क्रमांक 395 /तक./2023/म.प्र.ज.नि./प.क्रि.ई/इंदौर दिनांक 02/02/2023

प्रति,

जनरल मेनेजर(टी) /
प्रोजेक्ट डायरेक्टर
एन.एच.ए.आई
पी.आई.यू. हदरा

विषय: **Regarding accord of Permission for laying drinking water pipe line along NH-47 (Earlier NH-59A) under Jal Jiwan Mission at Dewas District (MP).**

सदर्भः 1. आपका पत्र क्र. NHAI/PIU/Harda/N-P/Water Pipline/P-3/20221937 दिनांक 22.12.2022
2. मेसर्स दारा कंस्ट्र.कं. जोधपुर का पत्र क्र. 168 दिनांक 31.01.2023

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (1) के तारतम्य में लेख है कि नेमावर समूह जलप्रदाय योजना जिला देवास अंतर्गत एन.एच.–47 (59ए) के समान्तर पूर्व पाईप लाईन के डाले जाने की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार बैंक ग्यारंटी जमा ठेकेदार फर्म द्वारा अपने संदर्भित पत्र (2) द्वारा प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार संलग्न है। लायसेंस फीस के भुगतान की कार्यवाही जल निगम में प्रचलित है जिसका शीघ्र ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

1- BG No. 142GT02230210002 dated 21.01.2023 Rs. 78,75,000/-
Valid upto 02-01-2024
HDFC Bank, New Delhi

उपरोक्तानुसार मूल बैंक ग्यारंटी आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। कृपया पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः मूल बैंक ग्यारंटी

O/c (जे.पी. गनोते)
महाप्रबंधक

पृ. क्रमांक 396 /तक./2023/म.प्र.ज.नि./प.क्रि.ई/इंदौर दिनांक 02/02/2023

प्रतिलिपि –

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. एस.क्यु.सी मेसर्स एम.एस.वी–ई.सी.एस इन्टरनेशनल इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 42–ए, अजीत कालोनी, बाल निकेशन स्कूल के सामने रायकाबाग, जोधपुर–342007 की ओर सूचनार्थ।

O/c महाप्रबंधक

(4)

MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT

Project Implementation Unit, Indore
Narmada Project Campus, Musakhedi, Building No. 1, Indore (M.P.)-452001
(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
Regd. & Corp. Office : 8, Arera Hills, Jail Road, Bhopal-462011
Phone No. : 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website - www.mpjalnigam.mp.gov.in
Email : gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in, Phone (0731) 2712001 CIN-U41000MP2012SG028798

No. : 480 /MPJNM/PIU/2023 Indore, Dated 10/02/2023

NHAI Nemawar

To,

GM (T), Project Director
NHAI, PIU Harda

Sub: Regarding accord of Permission for laying drinking water pipe line along NH-47 (Earlier NH-59A) Under "Jal Jiwan Mission" at Dewas District (MP)

Ref.:- 1) Agreement No. 38/2021-22 Dated 11.01.2021
2) Your office letter no. NHAI/PIU/Harda/N-P/Water pipeline/P-3/2022/1937 Date 22.12.2022
3) This office letter no. 395 date 02.02.2023

-00-

This is in connection with the above-cited subject, it is to inform you that as mentioned in your letter under ref.(2), the payment of Rs. 87,71,250/- has been done on dated 10.02.2023. (through online portal NTRP MORTH / Transaction No. 0702230011650) as license fee and Bank Guarantee of Rs. 78,75,000/- (In favor of the Project Director, NHAI) has already been submitted vide this office letter ref. No. (3) to accord the permission for laying of drinking water pipe line along NH-47 (Earlier Nh-59A).

This is for your information and further needful action, please.

Encl.: As above

(J.P. Ganote)
General Manager

O/c

Endt. No. : 481 /MPJNM/PIU/2023/Indore, Dated:- 10/02/2023

Copy to,

1) Chief General Manager, M.P. Jal Nigam Maryasdit, Bhopal (MP)-for information please.
2) Team Leader, SQC M/s MSV Infrastructure Inc. Ltd. (Indore)
3) M/s Dara Engineering & Infrastructure Pvt. Ld. 42-A, Ajil Colony Opp. Bal Niketan School, Raikabagh, Jodhpur – 342007.

O/c

General Manager

D:\Execution Scheme\Nemawar-Dewas\DARA_Nemawar-Dewas English.doc